

29<sup>1</sup>/<sub>20</sub>

पत्रावली पेश हुई। मकुलाम् वकील प्रार्थी उपस्थित।  
प्रार्थना-पत्र से सम्बंधित वाद-पत्र स्वीकार किया  
जा चुका है। अतः अब इस प्रार्थना-पत्र में कोई  
पारमवादी आवश्यक नहीं रही है। अतः प्रार्थना-पत्र  
स्वामिज किया जाता है। पत्रावली केसहा शुमार  
इमेकर बाद तस्लीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
दीकानेर शहर

